तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-3-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी राज0

73/दावा/2023
दायरा दिनांक 18.09.2023

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. बिशनलाल आ0 नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—वादी

बनाम

1. रामकुमार आ0 जगन्नाथ जाति भील निवासी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. पप्पूलाल आ0 रामकुमार जाति भील निवासी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. रामहेत आ0 रामकुमार जाति भील निवासी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 ,188 आर0टी0एक्ट
बेदखली कृषि भूमि

दिनांकः— 13.03.2026

:—निर्णयः—

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की आवंटनशुदा कृषि भूमि खाता संख्या नई 54 पुरानी 56 की ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी में दर्ज है राज्य सरकार द्वारा वादी को 5 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई थी परन्तु सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि के कारण वर्तमान में 0.55 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है जिसके इन्द्राज दुरूस्ती के लिए वादी पृथक से कार्यवाही करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 सभी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ के निवासीगण है एंव सभी प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्व एक अवैध संगठन बना रखा है व वर्ष 2022 की आखातीज के बाद से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है एंव जबरन वादी की कृषि भूमि में अतिक्रमण कर कृषि कार्य कर रहें है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी कृषि भूमि में अतिक्रमण करने से रोकने पर प्रतिवादीगण वादी से लडाई झगडा एंव मारपीट करने पर अमादा होते है व वादी को जान से मारने की धमकी देते है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादी की कृषि भूमि पर नाजायज जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार अपनी खातेदारी की कृषि भूमि से कब्जा छोडने का निवेदन किया एंव राजस्व अधिकारियों से भी कई बार इस हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की कृषि भूमि से कब्जा छोडने से साफ इंकार कर दिया एंव राजस्व अधिकारियों ने भी न्यायालय में बेदखली का वाद दायर करने को कहा। अन्तिम बार दिनांक 15.07.2023 को भी वादी ने प्रतिवादीगण को अपनी कृषि भूमि से कब्जा छोडने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया एंव वादी से लडाई झगडा करने पर अमादा हो गए यही वाद कारण है। ओर अन्त में निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम चाणदाखुर्द से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को बेदखल कर कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द किया जावे एंव 1 वर्ष की मुआवजा राशि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से दिलवायी जावे एंव स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह पुनः उक्त आराजी पर कब्जा नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बावजूद विधिसम्मत तामील सम्मन के अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.12.2024 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाबदावा पेश नही किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 प्रदर्श 1, भू–प्रबन्ध विभाग बन्दोबस्त सम्वत् 2041 – 2060 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 एंव पासबुक प्रदर्श 4 पेश की गई है तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम चाणदाखुर्द वादी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है खातेदारी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 जबरन कब्जा कर कृषि लाभ ले रहे है जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को कोई हक अधिकार नही है वादी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने एंव जान से मारने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा करने का कोई हक अधिकार नही होने से प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 वाके ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कब्जे संबन्धी कोई खण्डनात्मक जवाबदावा पेश नही किया गया जिससे यह सिद्व होता है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा अतिक्रमी की हैसियत से भूमि पर कब्जा किया गया है जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः हम न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की कृषि भूमि है प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा किया गया है जो अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है जिसका उनको कोई कानूनन अधिकारी प्राप्त नही है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत अतिक्रमी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम चाणदाखुर्द से बेदखल किए जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर पुनः जबरन कब्जा नही करे ओर न ही काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे ऐसा न तो स्वंय करे ओर न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर विवादित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम चाणदाखुर्द स्थित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम............लाखेरी व इजलास.......श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर०ए०एस)..
....

1. बिशनलाल आ0 नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

— वादी

1. रामकुमार आ0 जगन्नाथ जाति भील निवासी चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

कमशः पुस्तपर

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183,188, आर0 टी0 एक्ट

मुकदमा नम्बर ....73 / दावा / 2023........................

सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे................. व हाजिरी .... श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट,..... ..मिनजानिब मुद्दई रूबरू....श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट.................. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि—

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की कृषि भूमि है प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा किया गया है जो अतिकमी की हैसियत से काबिज काश्त है जिसका उनको कोई कानूनन अधिकारी प्राप्त नही है अतःराजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत अतिकमी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विवादित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम चाणदाखुर्द से बेदखल किए जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर पुनः जबरन कब्जा नही करे ओर न ही काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे ऐसा न तो स्वंय करे ओर न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर विवादित आराजी ख0सं0 22 रकबा 0.55 हैक्टर ग्राम चाणदाखुर्द स्थित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। निज......................................मुबलिग... ....बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13. माह 03 सन् 2026** को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प सबूत			3.मेहनताना वकील		
4.मेहनताना वकील			4.खर्चा गवाहान		
5.खर्चा गवाहान			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.नकल इजराय हुक्मनामा		
7.नकल इजराय हुक्मनामा			7.मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner